PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

प्रबन्ध निदेशक कार्यालय

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2642006 फैक्स नं0 0135–2643460 email:- md.ptcul@rediffmail.com

पत्रांक 815 /प्र0नि0/पिटकुल/MD(OM) दिनांक 30 –04–2020

विषय– कोविड–19 की स्थिति के दृष्टिगत पिटकुल में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक कार्मिकों के माह अप्रैल, 2020 (भुगतान माह मई, 2020) के वेतन में से एक दिन के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की धनराशि की कटौती करते हुए "मुख्यमंत्री राहत कोष" में दिये जाने हेतु सहमति के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक
पिटकुल,

उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि माह मार्च, 2020 (भुगतान माह अप्रैल, 2020) के सापेक्ष पिटकुल के समस्त पूर्णकालिक कार्मिकों के वेतन से एक दिन के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की धनराशि कोरोना वायरस से बचाव एंव रोकथाम के लिए "मुख्यमंत्री राहत कोष" में जमा की जा चुकी है।

वर्तमान में भी राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु विभिन्न मदों में भारी धनराशि का व्यय किया जा रहा है। इस विषम परिस्थिति में महामारी से बचाव सम्बन्धी प्रयासों में राज्य सरकार के सहायतार्थ पिटकुल में कार्यरत पूर्णकालिक कार्मिकों के माह अप्रैल, 2020 (भुगतान माह मई, 2020) के वेतन में से पुनः एक दिन का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) "मुख्यमंत्री राहत कोष" में जमा किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः आपके नियंत्रणाधीन इकाई में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक कार्मिकों के वेतन से एक दिन का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) कटौती किये जाने हेतु यदि किसी कार्मिक को आपत्ति हो तो दिनांक 05.05.2020 तक वित्त विभाग, कारपोरेट कार्यालय, देहरादून को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि उक्त पर तद्नुसार कार्यवाही की जा सके।

उक्त राशि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत पूर्ण छूट हेतु अनुमन्य होगी। उक्त धनराशि का उल्लेख अगले वित्तीय वर्ष 2020–21 के फार्म–16 में किया जायेगा।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 815 /प्र0नि0/पिटकुल/MD(OM)तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (वित्त/परिचालन/परियोजना/मा0सं0), पिटकुल, विद्युत भवन, देहरादून।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल।
3. समस्त आहरण वितरण अधिकारी, पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को विभागीय वैबसाईट पर सूचना अपलोड करवाये जाने हेतु प्रेषित।
5. समस्त अध्यक्ष/सचिव, एसोसिएशन/संगठन, पिटकुल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि राष्ट्र/राज्य हित में अपने–अपने संगठनों से भी समस्त पूर्णकालिक कार्मिकों के वेतन से एक दिन का वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु "मुख्यमंत्री राहत कोष" में दिये जाने की सहमति देने का कष्ट करें।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner